रांची में, मंगलवार दिनांक 19 दिसम्बर, 2017 को अपराह्न 04:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। माननीय मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की। अन्य सभी मंत्रीगण उपस्थित थे।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

ग्रामीण विकास विभाग
(पंचायती राज)

1.	पंचायत राज स्वशासन परिषद् के गठन हेतु पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध म।	**स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

2.	झारखण्ड नगरपालिका सम्पत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली, 2013 के कतिपय प्रावधानों को 31 मार्च, 2018 तक शिथिल करने के संबंध में।	**इस शर्त्त के साथ प्रस्ताव स्वीकृत कि संलेख की कंडिका–5 के कालम–iii में अंकित शब्द समूह "दिनांक 31.01.2018" को "दिनांक 31 मार्च, 2018" से प्रतिस्थापित किया जाय।**

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

3.	सरायकेला–खरसावाँ जिलान्तर्गत राजनगर अंचल के मौजा–बांकसाई, थाना नं0–410 के खाता नं0–16 का प्लॉट नं0–37, 48, 50, 93 एवं 102 का रकवा क्रमशः 0.10, 1.94, 0.60, 1.70 एवं 0.13 का कुल रकबा–4.47 एकड़ गै.म. आम भूमि (विस्तृत विवरणी संलग्न, अनुलग्नक–I) राजस्व विभागीय संकल्प ज्ञापांक–48/रा., दिनांक– 03.01.17 के आलोक में प्रस्तावित भूमि का मूल्य रु० 10,09,200/–(दस लाख नौ हजार दो सौ) प्रति एकड़ के दर पर गणना की गयी सलामी राशि रु० 45,11,124/–(पैंतालीस लाख ग्यारह हजार एक सौ चौबीस) मात्र तथा सलामी का 1 प्रतिशत वार्षिक व्यवसायिक लगान की राशि रु० 45,111/–(पैंतालीस हजार एक सौ ग्यारह) एवं लगान का 75 प्रतिशत सेस की राशि रू0 33,833/–(तैतीस हजार आठ सौ तैंतीस) एवं अन्य 29 वर्षों की लगान+सेस की राशि रु० 22,89,376/–(बाईस लाख नवासी हजार तीन सौ छिहत्तर) अर्थात कुल देय राशि रु० 68,79,444/–(अड़सठ लाख उनासी हजार चार सौ चौवालीस) मात्र (विस्तृत विवरणी सलग्न, अनुलग्नक–II) की अदायगी पर नवीकरण विकल्प के साथ औद्योगिक विस्तारीकरण हेतु मे0 रूंग्टा माईन्स लि0, चाईबासा के साथ 30 (तीस) वर्षों के लिए लीज बन्दोबस्ती के संबंध में।	**स्वीकृत।**

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

4. कोडरमा जिलांतर्गत अंचल–जयनगर के मौजा–धरौजा, थाना सं0–171, खाता सं0–166 एवं प्लॉट सं0–3254 में अंतर्निहित कुल रकबा –0.96 एकड़ गैरमजरुआ खास भूमि किस्म पुरानी परती, विभागीय परिपत्र संख्या–4306/रा0, दिनांक–24.10.14 की कंडिका–2 (i) के अनुसार निर्धारित दर रु० 9,62,227/–(नौ लाख बासठ हजार दो सौ सताईस) मात्र के आधार पर संगणित सलामी राशि– रु० 9,23,738/– (नौ लाख तेईस हजार सात सौ अड़तीस) मात्र, सलामी का 5 प्रतिशत वार्षिक व्यावसायिक लगान का 25 गुणा पूँजीकृत मूल्य की राशि रु० 11,54,672/–(ग्यारह लाख चौवन हजार छः सौ बहत्तर) मात्र, लगान का 145% सेस का 25 गुणा पूंजीकृत मूल्य की राशि रु० 16,74,275/– (सोलह लाख चौहत्तर हजार दो सौ पचहत्तर) मात्र अर्थात् कुल देय राशि रु० 37,52,685/– (सैंतीस लाख बावन हजार छः सौ पचासी) मात्र, रेल मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा अदायगी पर DFCCIL विशेष रेल परियोजना हेतु विशेष रेल परियोजना DFCCIL, भारत सरकार को सशुल्क स्थायी हस्तांतरण करने के संबंध में। **स्वीकृत।**

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

5. लातेहार जिलांतर्गत अंचल–चन्दवा, मौजा–भुसाड़ एवं जमीरा, थाना सं0–283 एवं 281, खाता सं0–93 एवं 222 के विभिन्न प्लॉट सं0 में अंतर्निहित कुल रकबा–3.8402 एकड़ गैरमजरुआ खास भूमि (विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नक–I) निबंधन दर तालिका के अनुसार निर्धारित दर एवं विभागीय संकल्प संख्या–4306/रा., दिनांक–24.10.14 के आधार पर संगणित की गई सलामी राशि रु0 9,60,168/– (नौ लाख साठ हजार एक सौ अड़सठ) मात्र, सलामी का 5 प्रतिशत वार्षिक दर से व्यावसायिक लगान का पूंजीकृत मूल्य की राशि रु0 12,00,211/–(बारह लाख दो सौ ग्यारह) मात्र, लगान का 145% सेस का पूंजीकृत मूल्य की राशि 17,40,306/– (सत्रह लाख चालीस हजार तीन सौ छः) रूपये मात्र अर्थात् कुल देय राशि रु0 39,00,685/– (उनचालीस लाख छः सौ पचासी) मात्र (विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नक–II) रेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अदायगी पर टोरी–बीराटोली–महुआमिलान नई बी0जी0 रेलवे लाईन निर्माण हेतु रेल मंत्रालय, भारत सरकार को सशुल्क स्थायी हस्तांतरण करने के संबंध में। **स्वीकृत।**

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

6. खरीफ विपणन मौसम 2017–18 में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति योजना से संबंधित विभागीय संकल्प संख्या–4620, दिनांक 10.11.2017 में आंशिक संशोधन के संबंध में। **स्वीकृत।**

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

7. अवैध/अनियमित जमाबंदी को रद्द करने के प्रसंग में सुयोग्य भूमिहीन व्यक्तियों को चिन्हित कर उन्हें भूमि उपलब्ध कराते हुए उनके नाम से कायम जमाबंदी को नियमित करने हेतु नीति निर्धारण करने के संबंध में। **स्वीकृत।**

सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेंस विभाग

8. Jharkhand Start up Policy, 2016 में संशोधन/समायोजन के संबंध में। **स्वीकृत।**

ह0/–
(राजबाला वर्मा)
मुख्य सचिव,
झारखण्ड

झारखण्ड सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(समन्वय)

———

ज्ञापांक –_____/ रांची, दिनांक दिसम्बर, 2017 ई0।

प्रतिलिपि– मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रीगण
राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड, रांची
विकास आयुक्त, झारखण्ड, रांची
अपर मुख्य सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग
सभी अपर मुख्य सचिव/सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एस० के० जी० रहाटे)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक –_____/ रांची, दिनांक दिसम्बर, 2017 ई0।

प्रतिलिपि– दिनांक 19 दिसम्बर, 2017 को हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही की प्रति सभी संबंधित विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि वे अपने विभाग से संबंधित प्रतिवेदन निम्न प्रपत्र में निश्चित रूप से 15 दिनों के अन्दर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग को उपलब्ध करा दें।

(एस० के० जी० रहाटे)
सरकार के प्रधान सचिव

विभाग .....
माह/दिनांक..... में लिये गये निर्णयों का अनुपालन प्रतिवेदन –

क्रमांक	**बैठक की तिथि**	**मद सं0 एवं विषय**	**कार्यान्वयन की वर्त्तमान स्थिति**